

लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम के, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.03.2026 को थाना क्षेत्र के ग्राम सरायगनेश के रहने वाले श्री शुभम यादव पुत्र श्री हरिनारायन यादव द्वारा अपनी बहन को विपक्षी द्वारा बहला फुसला कर कहीं भगा ले जाने के सम्बन्ध में उनकी लिखित सूचना पर थाना घोसी पर मु0अ0सं0 107/26 धारा 87,137(2) बी.एन.एस बनाम 1. अतुल गौड उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द नि0 सरायगनेश थाना घोसी मऊ, आदि 04 नफर के पंजीकृत किया गया था जिस सम्बन्ध में घोसी पुलिस टीम द्वारा आज 14.04.2026 को सुबह 9.05 बजे मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अतुल गौड उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द नि0 सरायगनेश थाना घोसी मऊ उम्र करीब 21 वर्ष को नदवासराय अण्डर पास के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर अभियुक्त को कारण गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. अतुल गौड उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द नि0 सरायगनेश थाना घोसी मऊ उम्र करीब 21 वर्ष

अनवारणित अभियोग

1. मु0अ0सं0 107/26 धारा 87,137(2) बी.एन.एस थाना घोसी

एक शातिर चोर गिरफ्तार तथा कब्जे से मोटर साइकिल के पार्टस व प्रतिबंधित कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्वेक्षण में व श्री क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में दिनांक 14.04.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिय मुखबिर सूचना दिया कि मतलूपुर सर्विस रोड के बगल में स्थित ट्यूबेल के पास एक व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल के पार्टस व नाजायज कारतूस लिए बैठा हुआ है तथा बेचने के लिए कही जाने की फिराक में है, मुखबिर सूचना जाकर ट्यूबेल के पास बैठे व्यक्ति के पास पहुंचकर घेर घार कर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मोहम्मद दानिश पुत्र स्व0 अजहर सा0 सरजू राय का पुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो हाथ में लिये एक बोरी बरामद हुई, जिसमें चोरी के मोटर साइकिल के पार्ट पाये गये तथा पहने हुए पैन्ट की दाहिने जेब से एक अदद प्रतिबंधित बोर का कारतूस व चोरी के सामान बेचने से प्राप्त 730 रू0 बरामद हुए। पकड़े गये व्यक्ति से पूछने पर बताया कि बोरी में जो मोटर साइकिल के पार्टस मिले है वह

अभियुक्त व विपुल मधेशिया उर्फ अमन पुत्र दुखन्ती मधेशिया सा0 डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा मिलकर चुरायी गयी मोटर साइकिल के पार्टस है तथा पैसे उसी मोटर साइकिल के अन्य पार्टस बेचने से प्राप्त हुए है तथा बरामद प्रतिबंधित कारतूस के सम्बन्ध में पूछने पर कोई जबाब नही दिया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहम्मद दानिश पुत्र स्व0 अजहर सा0 सरजू राय का पुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. पंजीकृत अभियोग-
3. 1.मु0अ0सं0 47/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बी0एन0एस0 व 7/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

वांछित अभियुक्त का विवरण-

1. विपुल मधेशिया उर्फ अमन पुत्र दुखन्ती मधेशिया सा0 डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ बरामदगी-
 1. मोटर साइकिल के अगले पहिये का एक अदद मडगार्ड व दो अदद साइड पैनल व एक अदद मीटर
 2. चोरी के माल विक्रय के 730 रू0
 3. एक अदद प्रतिबंधित कारतूस

01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी शराब बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ, श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत के कुशल निर्देशन व नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.04.2026 को चैकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन मऊ सड़क से मोहम्मद एहतेशाम पुत्र एहसान अहमद निवासी छित्तनपुरा थाना थाना कोतवाली नगर जपनद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष को मय प्लास्टिक की पिपिया 10 लीटर अवैध देशी शराब के गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. मोहम्मद एहतेशाम पुत्र एहसान अहमद निवासी छित्तनपुरा थाना थाना कोतवाली नगर जपनद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. प्लास्टिक की पिपिया 10 लीटर अवैध देशी शराब

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 107/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ